

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर

निगरानी/नरसिंहपुर/भू.सं/2018/1914
दिलीप आत्मज कन्हैयालाल जाट

निवासी वायपास रोड नरसिंहपुर तह. व जिला नरसिंहपुर

...आवेदक

बनाम

श्रीमति गंगा प्रजापति पत्नि श्री गोपाल प्रसाद प्रजापति
साकिन सिविललाईन शंकराचार्य कंदेली नरसिंहपुर

तहसील व जिला नरसिंहपुर

...अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता

आवेदक वर्तमान निगरानी राजस्व मामला क्रमांक 2अ/70 वर्ष

2013-14 न्यायालय श्रीमान तहसीलदार नरसिंहपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक
23/1/2018 में पारित अंतरिम आदेश से पीड़ित होकर निम्नलिखित आधारों

पर प्रस्तुत करता है :-

निगरानी के तथ्य

1:- यह कि अनावेदक/आवेदिका श्रीमति गंगा प्रजापति द्वारा धारा 250 म.प्र.भू.रा.सं. का आवेदन पत्र दिनांक 15/10/2012 में प्रस्तुत किया गया और बताया गया कि उसकी भूमि मौजा नरसिंहपुर नं.व. 278 प.ह.नं. 17 तहसील व जिला नरसिंहपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 230/4 रकवा 3.920 हेक्टेयर की मालिक काविजदार एवं आवेदिका द्वारा नाप दिनांक 20/6/2009 में कराया था जिसमें सीमांकन दौरान रकवा 0.247 हेक्टेयर पर अनावेदक दिलीप का अनाधिकृत कब्जा पाया गया एवं उपरोक्त जबरन अतिक्रमण को हटायें जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसका रा.प्र.क्रमांक 2अ/70 वर्ष 13-14 दर्ज किया गया था जिसमें अनावेदक दिलीप द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि आवेदिका श्रीमति गंगा प्रजापति द्वारा पंजीकृत बैनामा दिनांक 21/3/96 से विक्रेता रामनारायण से खसरानंबर 230/2 में से उपरोक्त भूमि क्रय की गई थी जिसमें पूर्व दिशा में दिलीपसिंह की जमीन लिखी हुई है तथा विक्रीत भूमि में रास्ता कुंआ, मकान विक्रय नहीं किया गया है तथा वर्तमान आवेदन पत्र 2 वर्ष के उपरांत प्रस्तुत किया गया है जो राजस्व न्यायालय में प्रचलन योग्य नहीं है उपरोक्त मामले में प्रारम्भिक आपत्ति को

Lakhan Singh Dhakar
Advocate

द्वारा आज दि. 20/03/18 को
प्रस्तुत। प्रारम्भिक तर्क हेतु
दिनांक 02/04/18 नियत।


920
90/3/18
श्रीमान राजस्व मंडल, न.प्र. ग्वालियर

32

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/नरसिंहपुर/भू.रा./2018/1914

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/18	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार की आपत्ति की गई थी, जिसका निराकरण आदेश दिनांक 08.11.2017 द्वारा किया जा चुका है एवं पुनः इस प्रकरण की आपत्ति की पुनरावृत्ति किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रकरण आवेदक की साक्ष्य हेतु नियत किया है। जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण का निराकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभी गुण-दोष पर होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	